प्रीलिम्स फैक्ट्स: 26 जुलाई, 2018

drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-26-07-2018

नीलगिरि माउंटेन रेलवे

- यह भारत के पाँच पहाड़ी रेलवे में से एक है। इसके अलावा अन्य चार में दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे (पश्चिम बंगाल), कालका-शिमला हिल रेलवे (हिमाचल प्रदेश), कंगड़ा घाटी रेलवे (हिमाचल प्रदेश) और माथेरान लाइट रेलवे (महाराष्ट्र) शामिल हैं।
- भारत के माउंटेन रेलवे को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
- पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिये दक्षिणी रेलवे का यह कोच (एनएमआर -87) 25 वर्ष पुराना है जिसे विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ नवीनीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) दुनिया भर में उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है जो मानवता के लिये उत्कृष्ट मूल्य के रूप में माने जाते हैं।
- "विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन" जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे 1972 में यूनेस्को की सामान्य सभा में स्वीकृति दी गई।
- विश्व विरासत कोष अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता वाले स्मारकों को संरक्षित करने से संबंधित गतिविधियों के समर्थन के लिये सालाना 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करता है।
- विश्व विरासत समिति अनुरोधों की ज़रूरत के अनुसार धन आवंटित करती है, सबसे अधिक संकटग्रस्त स्थलों को प्राथमिकता दी जाती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- हाल ही में KVIC ने राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अधिनियम में "खादी" को वर्ड मार्क और "खादी इंडिया" को ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है।
- इसने यूरोपीय संघ और अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के तहत एक व्यापार चिह्न के रूप में "खादी" को पंजीकृत करने के लिये ऑनलाइन आवेदन भी किया है।
- KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

- इसका उद्देश्य रोज़गार प्रदान करना, बिक्री योग्य वस्तुएँ तैयार करना और मज़बूत तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का निर्माण करना है।
- आम आदमी की भाषा में ट्रेडमार्क (जिसे ब्रांड नाम के रूप में जाना जाता है) एक दृश्य प्रतीक है जो वस्तुओं या सेवाओं या किसी अन्य उपक्रम द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं या सेवाओं को अलग करने के लिये उपयोग किये जाने वाले रंगों का संयोजन है और यह एक हस्ताक्षर, नाम, उपकरण, लेबल, अंक के रूप में हो सकता है।
- वर्ड मार्क (शब्द चिह्न) एक प्रकार का व्यापार चिह्न है जो वर्ड लेटर (word letter) या अंक (numeral) के रूप में हो सकता है। वर्ड मार्क प्रोपराईटर को केवल वर्ड, अक्षर या संख्यात्मक रूप में इसके प्रयोग का अधिकार देता है। मार्क के निरूपण के संबंध में किसी अधिकार की मांग नहीं की जा सकती है।

कोबोटेज लॉ (Cobotage Law)

- सरकार ने गुजरात से तमिलनाडु तक कपास के आवागमन के लिये कोबोटेज नियम में ढील दी है।
- कोबोटेज समुद्री कानून का एक शब्द है। यह एक देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर व्यापार के उद्देश्य से जहाज़ (vessel) के पारगमन को संदर्भित करता है।